



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 832]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938

No. 832]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

का.आ. 1324(अ).—यतः, मै. आन्ध्रा प्रदेश इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कोरपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में तेलंगाना राज्य इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कोरपोरेशन लिमिटेड), जो तेलंगाना राज्य में एक सरकारी संगठन है, ने आन्ध्रा प्रदेश के जीनोम वेली, ग्राम लालगडी मलकोपेट, मंडल शमीरपेट, जिला रंगा रेडी में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2636(अ) द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 20.44 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. तेलंगाना राज्य इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कोरपोरेशन लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 2.136 हेक्टेयर के क्षेत्र शामिल करने और 12.35 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने 2.136 हेक्टेयर के उपर्युक्त क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए दिनांक 15 मार्च, 2016 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके दिनांक 01 जून, 2015 के पत्र सं.6820/आई & आई.एन.एफ/ए2/2014 के तहत 12.35 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापटनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 12.35 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में 2.136 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित और 12.35 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 10.2263 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

अतिरिक्त क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	लालगडी मलकापेट	101 पी	2.136
कुल			2.136 हेक्टेयर

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	लालगडी मलकापेट	101 पी	3.24
2		119	3.31
3		120	5.00
4		121 पी	0.80
कुल			12.35 हेक्टेयर
अतिरिक्त एवं अनधिसूचित के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्र			10.2263 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ.1/23/2009-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

S.O. 1324(E).—Whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited (now Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited), a State Government Organization, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for biotechnology sector at Genome Valley, Village Ialgadi Malakpet, Mandal Shameerpet, District Ranga Reddy, in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 20.44 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2636 (E) dated 20th October, 2009;

And, whereas, M/s. Telangana State Industrial Infrastructure Corporation Limited, has now proposed to include an area of 2.136 hectares and decrease an area of 12.35 hectares from the above Special Economic Zone;

And whereas, the Central Government has granted letter of approval on 15th March, 2016 for inclusion of additional area of 2.136 ha to the above SEZ;

And, whereas, the State Government of Telangana has given its “No Objection” to the proposal of above developer for decrease in area of 12.35 ha vide their letter No. 6820/IP&INF/A2/2014 dated 01st June, 2015;

And, whereas, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 12.35 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 2.136 hectares and de-notifies an area of 12.35 hectares, thereby making total area of the Special Economic Zone as **10.2263 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR ADDITIONAL AREA

S.No.	Name of the Village	Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Lalgadi Malakpet	101P	2.136
Total			2.136 hectares

TABLE FOR DE NOTIFICATION

S.No.	Name of the Village	Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Lalgadi Malakpet	101P	3.24
2		119	3.31
3		120	5.00
4		121P	0.80
Total			12.35 hectares
Grant total of the SEZ area after addition and de-notification			10.2263 hectares

[F. No. F.1/23/2009-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.